

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु०नं०-31/2023

(जीसीएमएस नं० 2023/31)

उपनाम -सरकार बनाम जयप्रकाश पुत्र श्री मुन्नालाल , मैसर्स:- मुन्नालाल जयप्रकाश किराना स्टोर ,
मैन चौराहा मैन बाजार ,बसेडी जिला धौलपुर, निवासी कुंडा कॉलोनी, हवेली थोक के सामने,बसेडी, जिला
धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28 की उप धारा 2(ii)/54 एफ०एस०एस०
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -30.05.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र श्री मुन्नालाल , मैसर्स:- मुन्नालाल जयप्रकाश किराना स्टोर , मैन चौराहा मैन बाजार ,बसेडी जिला धौलपुर, निवासी कुंडा कॉलोनी, हवेली थोक के सामने,बसेडी, जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/54 एफ०एस०एस०एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.04.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी के दुकान मैसर्स: मुन्नालाल जयप्रकाश किराना स्टोर , मैन चौराहा मैन बाजार ,बसेडी निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे फ्रीजर में लगभग 30 किलोग्राम बूरा को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त बूरा में मिलावट का शक होने पर उक्त बूरा को 1 किलोग्राम बूरा वास्ते नमूना जांच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मादा का तेल नमूना डी-2779 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/424/एक्ट/2023/467 दिनांक 26.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया बूरा Containing Extraneous Matter प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 54 में वर्णित है एवं विक्रेता के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन भी नहीं होना पाया गया है जिसका जुर्माना 63 में वर्णित है। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढ़कर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निरस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने परोक्षर सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त Containing Extraneous Matter बूरा का विक्रय करके एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी Containing Extraneous Matter बेचने का दोषी है जो धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः जयप्रकाश पुत्र श्री मुन्नालाल , मैसर्स:- मुन्नालाल जयप्रकाश किराना स्टोर , मैन चौराहा मैन बाजार ,बसेडी जिला धौलपुर, निवासी कुंडा कॉलोनी, हवेली थोक के सामने,बसेडी, जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के तहत राशि 5000/-रुपये (पाँच हजार रुपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)